# E100 और फ्लेक्स-फ्यूल वाहन: MoRTH की नई अधिसूचना G.S.R. 911(E) में क्या बदला और क्या नहीं

मुख्य परीक्षा विश्लेषण | पर्यावरण और ऊर्जा | समाचार-संदर्भ: MoRTH अधिसूचना G.S.R. 911(E), 23 अक्टूबर 2026 | प्रकाशन: 27 अक्टूबर 2026




मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

## खबरों में क्यों

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 23 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना G.S.R. 911(E) जारी कर केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में संशोधन किया। राजपत्र के पाठ के अनुसार नियम 115 की उत्सर्जन-सारणियों में जहाँ पहले केवल ‘E85’ लिखा था, वहाँ अब ‘E85 या E100’ लिखा गया है। इसके साथ यह स्पष्टीकरण जोड़ा गया है कि E85 या E100 का उपयोग उन वाहनों में होगा जिन्हें मूल उपकरण निर्माता (OEM) ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहन के रूप में डिज़ाइन किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर मौजूदा पेट्रोल वाहन E100 पर चल सकता है।

## मुख्य तथ्य (राजपत्र के पाठ के अनुसार)

- **अधिसूचना:** सा.का.नि. 911(अ), 23 अक्टूबर 2026, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। यह मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 की शक्तियों के तहत बनाई गई है। इसके मसौदा नियम G.S.R. 313(E) में 27 अप्रैल 2026 को प्रकाशित हुए थे और 30 दिन में आपत्तियाँ और सुझाव माँगे गए थे।
- **प्रवृत्ति:** नियमों के पाठ के अनुसार, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- **नियम 115 में बदलाव:** उपनियम (18), (19), (20) और (22) की सारणियों में E85 की जगह ‘E85 या E100’ किया गया है। उपनियम (18) की एक सारणी के शीर्षक में ‘सकल भार अनधिक’ वाली सीमा 3000 किग्रा से 3500 किग्रा की

गई है। गैसोलीन के संदर्भ-ईंधन का शीर्षक 'E10' से 'E10/E20' किया गया है। बायोडीज़ल की एक पंक्ति में B10 की जगह B100 है।

- **नियम 115E(4):** टिप्पणी के खंड (xii) में E100 वाहनों के लिए 'Annexure S' की जगह 'Annexure SA' किया गया है।
- **स्पष्टीकरण-नोट:** "E85 or E100 shall be used in the vehicles designed by the original equipment manufacturers as Flex-fuel vehicles."
- **मंत्रालय का व्याख्यात्मक नोट (morth.gov.in पर):** इसमें कहा गया है कि फ्लेक्स-फ्यूल वाहन E20 से E85/E100 के बीच के ईंधन पर चलने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। चालकों को वाहन पर लगा ईंधन-अनुकूलता का स्टिकर देखने और निर्माता का मैनुअल मानने को कहा गया है। नोट के अनुसार ऊँचे एथेनॉल मिश्रण से कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कुछ हाइड्रोकार्बन (HC) का टेलपाइप उत्सर्जन घट सकता है, और जीवन-चक्र ग्रीनहाउस-गैस उत्सर्जन फीडस्टॉक और उत्पादन-मार्ग पर निर्भर करता है।

## प्रिलिम्स के लिए याद रखें

- E(X) का मतलब है X% एथेनॉल और (100-X)% गैसोलीन (मंत्रालय के नोट के अनुसार)। E100 यानी बिना गैसोलीन का एथेनॉल।
- अधिसूचना केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का संशोधन है। यह कानून नहीं, अधीनस्थ नियम है।
- E85 या E100 केवल OEM-डिज़ाइन किए फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए है, सामान्य पेट्रोल वाहनों के लिए नहीं।

## विश्लेषण

- **मानकों की कानूनी जगह:** उत्सर्जन-सारणियों में E100 के जुड़ने से ऐसे वाहनों के प्रकार-अनुमोदन और उत्सर्जन-परीक्षण का नियम-आधार बनता है। इससे फ्लेक्स-फ्यूल वाहन बनाने वालों के लिए स्पष्टता आती है। यह निष्कर्ष पाठ से निकाला गया विश्लेषण है।
- **उपभोक्ता के लिए सावधानी:** स्पष्टीकरण-नोट और मंत्रालय का नोट, दोनों वाहन की डिज़ाइन और स्टिकर पर ज़ोर देते हैं। इसलिए सही ईंधन चुनना वाहन के निर्माता-निर्देश पर निर्भर है।
- **ऊर्जा-सुरक्षा के तर्क:** मंत्रालय के नोट के अनुसार घरेलू एथेनॉल का अधिक उपयोग आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटा सकता है और 2070 के नेट-ज़ीरो लक्ष्य में सहायक हो सकता है। ये अपेक्षाएँ हैं, मापे हुए नतीजे नहीं।
- **सीमाएँ:** पाठ में E100 की उपलब्धता, पंपों की संख्या, कीमत या खाद्य-फसलों पर असर का कोई आँकड़ा नहीं है। इसलिए ये बातें इस लेख में नहीं दी गई हैं।

## मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**“फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए E100 को नियमों में शामिल करने के लाभ और चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए।”** (GS-III, 150 शब्द)

### उत्तर की रूपरेखा

**भूमिका में:** 23 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना G.S.R. 911(E) और ‘E85 या E100’ के बदलाव का उल्लेख करें, और यह भी कि यह केवल OEM-डिज़ाइन किए फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए है।

**मुख्य भाग में:** लाभ लिखें: नियम-स्पष्टता, घरेलू ईंधन का उपयोग, आयात-निर्भरता में संभावित कमी, तथा CO और HC उत्सर्जन में संभावित कमी। चुनौतियाँ लिखें: ईंधन की उपलब्धता, उपभोक्ता की जानकारी, फीडस्टॉक पर निर्भर जीवन-चक्र उत्सर्जन। चुनौतियाँ विश्लेषण के रूप में लिखें, क्योंकि राजपत्र में इनके आँकड़े नहीं हैं।

**निष्कर्ष में:** कहें कि नियम का बदलाव ढाँचा बनाता है, पर असर वाहनों, ईंधन-आपूर्ति और उपभोक्ता-जागरूकता पर निर्भर करेगा।

## स्रोत और सीमाएँ

- MoRTH, राजपत्र असाधारण में प्रकाशित G.S.R. 911(E) और व्याख्यात्मक नोट, morth.gov.in पर (पढ़ा): Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2026 और Explanatory Note on Flex Fuel Vehicles (PDF)
- **सीमाएँ:** यहाँ सब कुछ इसी दस्तावेज़ के पाठ से है। समाचार-रिपोर्टों के आँकड़े (जैसे पंपों की संख्या या E20 पर माइलेज की शिकायतें) इस लेख में नहीं लिए गए, क्योंकि उन्हें मूल स्रोत से जाँचा नहीं गया।